खण्ड 19, अंक 1
बुधवार, 06 आषाढ़, शक संवत् 1929
(27 जून, 2007 ई0)

# उत्तराखण्ड विधान सभा

# की

# कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 08 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य–

# विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थिति ... ... ... | क |
| वन्दे मातरम् ... ... ... | 1–3 |
| नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास | 4–7 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 7–30 |
| उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 30 |
| नियंत्रक–महालेखा परीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 31 |
| नियंत्रक–महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 2005–2006 (उत्तराखण्ड सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 31 |
| उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा) ... ... ... | 31 |
| कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ... ... ... | 31–32 |
| कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 32 |
| नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 33 |

## उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डेय
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन मेहरा
8—सुश्री कैरन हिल्टन
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री केदार सिंह
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19—श्री जोगा राम टम्टा
20—श्री जोत सिंह गुनसोला
21—हाजी तस्लीम अहमद
22—श्री तिलक राज बेहड़
23—श्री दिनेश अग्रवाल
24—श्री दिवाकर भट्ट
25—श्री दिवान सिंह
26—श्री नारायण पाल
27—काजी मौ0 निजामुद्दीन
28—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29—श्री प्रकाश पन्त
30—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35—श्री बलवीर सिंह नेगी
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री बंशीधर भगत
38—श्री बृजमोहन कोटवाल
39—श्री मदन कौशिक
40—श्री मनोज तिवारी
41—श्री मयूख सिंह
42—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"
43—श्री मातबर सिंह कण्डारी
44—श्री मुन्ना सिंह चौहान
45—श्री यशपाल बेनाम
46—चौ0 यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत रावत
48—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
49—श्री राजकुमार
50—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
51—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
52—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54—श्रीमती बीना महराना
55—श्री शहजाद
56—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
57—श्री सुरेन्द्र राकेश
58—श्री सुरेश चन्द जैन
59—डा0 हरक सिंह रावत
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरिदास
62—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 27 जून, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्।

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्।

सुहासिनीम्।

सुमधुर भाषिणीम्।

सुखदाम्।

वरदाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

* श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसके बारे में हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस संबंध में हमारी जो 310 की सूचना है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है। इस पर सदन की आज की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज सदन का पहला दिन है। बजट पर चर्चा के समय कानून व्यवस्था पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विस्तृत रूप से चर्चा होगी। कृपया आप अपनी बात उस समय विस्तार से रख सकते हैं। अभी कृपया आप बैठ जायें।

* श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी एक 310 की सूचना है। यह हरिद्वार पुलिस द्वारा ग्राम पनियाला चन्दापुर के श्री अरविन्द का पुलिस द्वारा फर्जी ढंग से इन्काउंटर कर दिया गया। यह सूचना अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की है, इस पर आज की सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाये।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें और प्रश्नकाल होने दें।

* नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हमारे पूर्व सदस्य श्री गणेश गोदियाल जी पर जानलेवा हमला हुआ है और जनपद पौड़ी के कोटद्वार नगर से लखनऊ की एस0टी0एफ0 टीम द्वारा आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई है। इस स्थिति से राज्य में गम्भीर चिन्ता का वातावरण है, इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, खुफिया तंत्र नाकाम है। मान्यवर, जो यह हमारी 310 की सूचना है, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व की सूचना है, इस पर सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सदन का पहला दिन है। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस के कई माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण ''वेल'' में आ गये और नारे लगाने लगे–''लाठी डण्डों की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी। दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी''।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे।) (व्यवधान)

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे कि "प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है, खुफिया तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। हमारे पूर्व माननीय विधायक पर प्राणघातक हमला हुआ है तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्यों द्वारा आत्म–हत्या की गयी है। मान्यवर, ये सभी गम्भीर मामले हैं"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं बिना अनुमति के बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि अपने दल के सदस्यों को समझाएं। मैं आप सभी को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दूंगा। कृपया प्रश्नकाल होने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्यों के लगे हुए हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11 बजकर 40 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11 बजकर 50 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.00 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में मध्याह्न 12.00 पुनः आरम्भ हुई।)

## नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय खजान दास जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए।)....................(घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में एक साथ नारे लगाने लगे–"गुण्डागर्दी की यह सरकार, नहीं चलेगी–नहीं चलेगी। दमन के बल पर यह सरकार, नहीं चलेगी–नहीं चलेगी। अरविन्द के हत्यारों को फांसी दो–फांसी दो"।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों की बात सुनने को तैयार हूं, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[ X X X ]

* संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सरकार सभी विषयों का जवाब नियमों के तहत देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष व्यवस्था बनाये रखना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दें। (व्यवधान)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

नोट:- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या नियम 310 में सुन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

सबकी बात सुनी जायेगी। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे–[X X X]

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंजवाल जी, आप तो मंत्री रह चुके हैं, काफी पुराने सदस्य हैं। नये सदस्यों का ध्यान रखिए। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग दें। यह मेरा अनुरोध है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या नियम 310 में चर्चा स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आश्वासन देता हूं कि सबकी बात सुनूंगा। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए। सबकी बात सुनी जायेगी। (व्यवधान) सदन में सबकी भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। क्या 310 में सुन रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल चलने दीजिए, सबकी बात सुनूंगा।

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी के "वेल" में खड़े–खड़े कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। जब सदन व्यवस्थित होगा तभी तो आपकी बात आयेगी।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे–[X X X]

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन व्यवस्थित करने में सहयोग दें (व्यवधान)। ' माननीय सदस्यगण अगर आप समझते हैं कि इस तरह आपकी

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

बात सुनी जायेगी, तो यह सम्भव नहीं है। आप अपना आसन ग्रहण करें, सबकी बात सुनी जायेगी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे। [X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि..........(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरे प्रदेश की जनता आपके प्रश्नों की ओर देख रही है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, [X X X] (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के कोई भी बात लिखी नहीं जायेगी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

[ X X X ] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा। पहले आप सदन को व्यवस्थित करें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। [X X X] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप सदन को व्यवस्थित करें, तभी मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। मैं सभी की बात सुनने को तैयार हूं, पहले आप सदन को व्यवस्थित करें। (व्यवधान)

[ X X X ]

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाने लगे।)

[ X X X ]

(घोर व्यवधान)

---

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[ X X X ]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न लगे हुए हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया प्रश्नकाल होने दें।

[ X X X ]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत पुराने सदस्य हैं, आपसे हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं। कृपया आसन ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय दूसरा नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय। यह प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ विषय है।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पूर्ववत "वैल" में खड़े होकर नारे लगाने लगे।)

[ X X X ]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित प्रश्न

### प्रदेश में सरकारी–असरकारी वाहनों पर लाल, नीली बत्ती धारकों के विरुद्ध कार्यवाही

** 1–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी–असरकारी वाहनों पर किन–किन महानुभावों द्वारा अनधिकृत रूप से लाल अथवा नीली बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है ?

विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा किन–किन महानुभावों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है ?

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

क्या मंत्री जी कोई विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत रूप से लाल–नीली बत्ती के उपयोग पर रोक लगायेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

अनधिकृत लाल–नीली बत्ती के प्रयोग के 02 प्रकरणों (महाप्रबन्धक, आर्डिनेन्स फैक्ट्री एवं मुख्य पोस्ट मास्टर, डाक तार विभाग) में नोटिस भेजे गये थे, जिसके क्रम में उनके द्वारा बत्ती हटा ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

समय–समय पर अनधिकृत रूप से लाल–नीली बत्ती के उपयोग पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाये गये हैं। यह अभियान निरन्तर जारी रखा जायेगा ताकि अनधिकृत रूप से लाल–नीली बत्ती के उपयोग को रोका जा सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वार्षिक वित्तीय लेखे सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

** 2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वार्षिक वित्तीय लेखे निगम के गठन होने से अब तक सदन के पटल पर नहीं रखे गये हैं ?

यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं ?

क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वित्तीय लेखे चालू सत्र में सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

जी नहीं।

---

नोट–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकेगी।

## तारांकित प्रश्न

### राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत मोहन्ड से रानीपुर तक बिना अनुमति सड़क का निर्माण

* 1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत मोहन्ड से रानीपुर तक 33 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि नेशनल पार्क क्षेत्र में पक्की सड़कों/सी0सी0 रोड़ का निर्माण न किये जाने के दिशा निर्देश हैं ?

यदि हां, तो बिना अनुमति के और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत उक्त क्षेत्र में सी0सी0 रोड़ निर्माण के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं सड़क का निर्माण कार्य रुकवाने पर विचार किया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत पक्की सड़क/सी0सी0 रोड़ का निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि सड़क सुधार का कार्य किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

### जनपद हरिद्वार स्थित बंजारेवाला, भगवानपुर तथा रुड़की स्टोन क्रेशरों पर सीलिंग की कार्यवाही

* 2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के बंजारेवाला, भगवानपुर, रुड़की में वर्ष 2001–03 से नियमों के अन्तर्गत संचालित स्टोन क्रेशरों की यूनिट बन्दी के आदेश जारी कर सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त क्रेशर को बन्द किये जाने का औचित्य क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि पूर्व से स्थापित यूनिटों को ईको–फ्रेजाइल जोन के आधार पर सहमति न देने तथा नई यूनिटों की स्थापना हेतु सहमति दिये जाने तथा उनके बन्दी के आदेश न करने की विसंगति उत्पन्न करने के क्या कारण हैं ?

उक्त विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां, स्टोन क्रेशरों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र वायु एवं जल सहमति–पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण बन्दी की कार्यवाही की गयी है।

ईको–फ्रेजाईल जोन घोषित नहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक यूनिट को अनापत्ति प्रमाण–पत्र, उस इकाई की प्रकृति, क्षमता तथा गुण–अवगुण के आधार पर निर्गत की जाती है, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

उक्त स्टोन क्रेशरों का प्रकरण वायु एवं जल अधिनियम के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लम्बित है जिसका निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाना है।

## जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के अनुरूप अनुपातिक मुआवजा

* 3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जंगली हाथियों एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल नष्ट कर देने पर शासनादेश संख्या 2384/14–4–96–836/92, दिनांक 6–12–1996 के अनुरूप दिये जाने वाला मुआवजा किसान को होने वाले नुकसान के आनुपातिक नहीं है ?

यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए किसानों को नुकसान के अनुपात में मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां।

शासनादेश संख्या 2212/दस–2–2005–19(37)/2003, दि0 28–7–05 द्वारा पूर्व शासनादेश संख्या 2384/14–4–96–836/92, दिनांक 6–12–1996 को संशोधित करते हुए मुआवजे की दरें पुनरीक्षित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन खटीमा से दिल्ली व देहरादून जाने की व्यवस्था

* 4–श्री गोपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की समस्त बसें टनकपुर क्षेत्र से चलती हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त बसों में खटीमा से (जनपद ऊधमसिंह नगर) दिल्ली एवं देहरादून जाने वाले यात्रियों को बसों में बैठने की पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की असुविधा को देखते हुए दिल्ली–देहरादून जाने वाली बसों का संचालन खटीमा से भी किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

जी नहीं।

खटीमा से दिल्ली एवं दिल्ली से खटीमा और खटीमा से देहरादून तथा देहरादून से खटीमा एक–एक बस सेवा जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए संचालित की जायेगी। लेकिन बसें, टनकपुर से ही आयेंगी और जायेंगी, क्योंकि बसों की मेन्टीनेन्स और डीजल की व्यवस्था टनकपुर में उपलब्ध है।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा तहसील के अन्तर्गत बहने वाली परवीन, दोहा आदि नदियों में बाढ़ से उपजाऊ भूमि का कटाव

* 5–श्री गोपाल सिंह–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की खटीमा तहसील क्षेत्र में बहने वाली परवीन नदी, दोहा नदी, कामिनी नदी, जगबूढ़ा नदी, लोहिया नदी, सनिया नदी में अतिवृष्टि बाढ़ से प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन नदियों से उपजाऊ भूमि के कटाव को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी हां।

कटाव स्थल के सर्वेक्षण उपरान्त एवं विभागीय मापदण्डों के अनुसार उपादेय होने पर ही योजना प्रस्तावित की जानी सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार की बाढ़ सुरक्षा योजना भोगपुर से बालावाली गंगा तट पर तट–बंध निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ कराया जाना

* 6–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार की महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा योजना

भोगपुर से बालावाली गंगा तट पर तटबन्ध निर्माण हेतु योजना आयोग (नई दिल्ली) द्वारा स्वीकृति के उपरान्त भी केन्द्र पुरोनिधानित योजना का केन्द्रांश मध्य से ही रोक दिये जाने से निर्माण कार्य बाधित हो गया है ?

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों में बाढ़ का खतरा पुनः उत्पन्न हो गया है ?

क्या सरकार योजना आयोग से जनहित में स्वीकृत केन्द्रांश राशि को अविलम्ब जारी करने का आग्रह कर निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

उपलब्ध धनराशि से आवश्यक लम्बाई 5.60 कि0मी0 के निर्माण कार्य कराकर बाढ़ के खतरे को कम किये जाने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

योजना आयोग द्वारा भारत सरकार से धन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## हरिद्वार वन प्रभाग में वन गुर्जर समुदाय के परिवार हेतु शासन द्वारा पुनर्वासित योजना

* 7–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार वन प्रभाग में वन गुर्जर समुदाय के परिवारों को शासन द्वारा पुनर्वासित कराये जाने की कोई योजना तैयार करायी गयी है ?

यदि हां, तो क्या उक्त योजना में सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप अवस्थापना सुविधा, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, क्रीडा स्थल आदि की सुविधा इन पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध करायी जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां, इस सम्बन्ध में योजना तैयार की गयी है तथा क्रियान्वित की जा रही है।

जी हां, उक्त योजना में वर्णित सभी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जा रही है।

चरणबद्ध तरीके से।

प्रश्न नहीं उठता है।

## सरकार द्वारा जंगली जानवरों को मारे जाने हेतु परमिट

* 8–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने एवं कृषि भूमि में गड्ढे कर देने से किसान को बहुत आर्थिक हानि हो रही है एवं जुताई में दिक्कत होती है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि प्रायः वन रोज द्वारा सड़क मार्गों पर वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे घातक दुर्घटना में जन–धन की हानि हो रही है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वन रोज, जंगली सुअर आदि जानवरों को जनहित में मारे जाने हेतु परमिट जारी किये जायेंगे एवं उक्त हेतु अर्हता क्या होगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हां, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने के प्रकरण प्रकाश में आते रहते हैं।

वन रोजों के साथ वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले प्रकाश में आये हैं, साथ ही वाहनों द्वारा वनरोजों के मारे जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये हैं।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन रोज (नीलगाय) तथा जंगली सुअर के चिन्हित समूहों को विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नष्ट करने की अनुमति दिये जाने का प्राविधान है तथा इस हेतु प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## टिहरी जलाशय के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कर बांध प्रभावितों को भूखण्ड का आवंटन

*9–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल

में टिहरी जलाशय के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कर, रिंग रोड पर बांध प्रभावितों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु भूखण्डों का आवंटन करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

टिहरी जलाशय के चारों ओर रिंग रोड बनाये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को संदर्भित है। प्रस्तावित रिंग रोड पर बांध प्रभावितों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित करने हेतु पुनर्वास नीति में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार से अपेक्षित स्वीकृति के उपरान्त प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

## सरकार द्वारा लेंटाना झाड़ी के उन्मूलन हेतु वृहत कार्य योजना

*10–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लेंटाना झाड़ी, जो वनों के लिये हानिकारक है, के उन्मूलन हेतु सरकार कोई वृहत कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने व एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, उक्त परियोजना में अन्य मदों के अलावा लैंटाना तथा अन्य झाड़ियों के उन्मूलन/प्रबन्धन हेतु भी 15 करोड़ रुपये का प्राविधान करने का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## जनपद हरिद्वार में बन्द पड़े नलकूपों को ठीक किये जाने की कार्यवाही

*11–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में कितने राजकीय नलकूप विभिन्न कारणों से बन्द हैं ?

क्या यह सही है कि विभाग द्वारा नलकूपों को ठीक कराने में बहुत अधिक विलम्ब किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार किसानों के हित में तीन माह से अधिक बन्द नलकूपों का सिंचाई शुल्क स्थगित करने एवं सभी बन्द नलकूपों के शीघ्र ठीक कराने की कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद हरिद्वार में विभिन्न कारणों से 42 नलकूप बन्द हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई शुल्क चलित घण्टों के आधार पर लगाया जाता है। सभी बन्द पड़े नलकूपों को दोषमुक्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

### जिला पिथौरागढ़ के तहसील गंगोलीहाट के वि0ख0 रैतोला में सिंचाई हेतु सरयू नदी से लिफ्ट योजना

1–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम रैतोला, विकास खण्ड तथा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ में सिंचाई हेतु सरयू नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसकी लागत तथा प्रारूप क्या है तथा उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजना की अनुमानित लागत रु0 54.20 लाख है। इस योजना से ग्राम रैतोला के 30 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना का निर्माण वर्ष 2007–08 में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

### पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल तथा धराणी नागधूणा चौरपाल में छूटे हुए मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण

2–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा

के पत्रांक 866/2–1/मू0ह0, दि0 01–11–2006 जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के कि0मी0 12 से छूटे हुए 2 कि0मी0 भाग तथा धराडी–नागधूणा–चौरपाल मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर दो सप्ताह में निरीक्षण कर आख्या देने के आदेश तत्कालीन वन मंत्री ने दिये थे ?

यदि हाँ, तो क्या वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

और कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा के पत्र सं0 क–866/2–1 मू0ह0, दि0 1–11–06 द्वारा तत्कालीन मा0 वन मंत्री जी को अवगत कराया गया था कि प्रस्तावित गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के कि0मी0 12 से छूटे हुये 2 कि0मी0 भाग तथा धराड़ी–नागधूणा–चौरपाल मोटर मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव में साल एवं चीड़ के अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्तावित मार्ग का लोक निर्माण विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

धराड़ी–नागधुना–चौरपाल–सुगड़ी–शिवना बनेलागांव मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त द्वारा अपनी सहमति अंकित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु याचक विभाग को लौटा दिया गया है तथा गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के छूटे भाग में स्थल निरीक्षण के दौरान चीड़ व साल के 449 वृक्ष प्रभावित होने पाये जाने के कारण समरेखन परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव याचक विभाग (लोक निर्माण विभाग) को लौटाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

यथाशीघ्र।

## विभाग द्वारा किसानों को अपने नाप खेत से पेड़ काटने की अनुमति देने की निर्धारित समय सीमा

3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को अपने नाप खेत से पेड़ काटने की अनुमति विभाग द्वारा कितने दिनों में दिये जाने की व्यवस्था है ?

क्या निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनुमति न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

सक्षम अधिकारी द्वारा किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृह आदि में उगे हुए किसी वृक्ष से भिन्न वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र दिये जाने की तिथि से नब्बे

दिनों के भीतर तथा गिरे हुए वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिये जाने की तिथि से सात दिन के भीतर अनुमति दिये जाने हेतु विनिश्चय दिये जाने की व्यवस्था है।

सम्प्रति इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## उत्तराखण्ड जल संस्थान में लम्बे अन्तराल से कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मियों का नियमितिकरण

4–श्री केदार सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड जल संस्थान में लम्बे अन्तराल से कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मियों को नियमित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर व रुड़की में सिंचाई की समस्या तथा उपाय

5–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार ब्लाक भगवानपुर व रुड़की में जलस्तर गिरने के कारण सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सिंचाई की समस्या दूर करने का उपाय करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार अधिकतम सीमा तक नलकूपों पर कालम पाईप बढ़ाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## चम्पावत से ऊधमसिंह नगर में बहने वाली शारदा नहर से खटीमा के पूर्वी तराई वन प्रभाग किलपुरा रेंज की जंगल सीमा तथा कामिनी नदी तक सिंचाई नहर बनाने की योजना

6–श्री गोपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत से जनपद ऊधमसिंह

नगर में बहने वाली शारदा नहर से खटीमा तहसील के जंगल के किनारे बसने वाले कृषकों की फसल को सिंचित करने हेतु पूर्वी तराई वन प्रभाग के खटीमा एवं किलपुरा रेंज की जंगल की सीमा एवं आबादी किनारे कामिनी नदी तक सिंचाई नहर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

पूर्वी तराई वन प्रभाग के खटीमा एवं किलपुरा रेंज की जंगल की सीमा एवं आबादी किनारे कामिनी नदी तक सिंचाई नहर बनाने का प्रकरण प्रथम बार प्रकाश में आया है। वर्षाकाल के पश्चात् आवश्यक सर्वेक्षणोपरान्त योजना की फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् ही अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव है।

## ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा में जीर्ण–शीर्ण बस अड्डे का पुनर्निर्माण

7–श्री गोपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा का बस अड्डा अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिससे उत्तराखण्ड परिवहन की बसों के संचालन एवं यात्रियों को अत्यन्त असुविधा हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त बस अड्डे का पुनर्निर्माण कराने का कष्ट करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उपरोक्त स्थान पर नये भवन का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

## जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर स्थित मौहम्मदपुर खादर से शेरपुर खादर तक सौलानी नदी पर तटबन्ध का निर्माण

8–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सौलानी नदी के बाएं तट पर मौहम्मदपुर खादर से शेरपुर खादर तक तटबन्ध निर्मित न होने के कारण प्रतिवर्ष आस–पास के ग्रामों के लिये बाढ़ का खतरा बना रहता है, फलस्वरूप जनधन एवं अवस्थापनाओं की हानि होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर तटबन्धों का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

बाढ़ सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## राज्य के 13 जनपदों में स्थित परिवहन निगम के डिपो में परिवहन कर्मियों हेतु आवास सुविधा

9–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य के 13 जनपदों में स्थित परिवहन निगम के डिपो में से मात्र हरिद्वार डिपो में ही परिवहन कर्मियों हेतु आवास सुविधा उपलब्ध है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में अन्य जनपदों के डिपो में भी परिवहन कर्मियों हेतु आवासीय परिसर निर्मित करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

हरिद्वार डिपो के अतिरिक्त निम्न डिपो में भी परिवहन कर्मियों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है :–

| | |
|---|---|
| 1. काठगोदाम | (जनपद नैनीताल) |
| 2. टनकपुर | (जनपद चम्पावत) |
| 3. कोटद्वार | (जनपद पौड़ी) |
| 4. देहरादून | (जनपद देहरादून) |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में सभी जनपदों के डिपो में कर्मियों हेतु आवासीय परिसर निर्मित कराया जाना सम्भव नहीं है।

10–श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रथम सोम0 के अता0 50 में स्थानान्तरित।

## राजाजी पार्क से वन गूर्जर समुदाय के परिवारों को विस्थापित करने पर विचार

11–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राजाजी पार्क से वन गूर्जर समुदाय के परिवारों को विस्थापित किया जाना है ?

क्या उक्त में से अधिकांश परिवार विस्थापन सूची में सम्मिलित नहीं किये जा सके हैं ?

क्या यह सत्य है कि वन गूर्जर समुदाय के अधिकतर परिवार अब बेघर होने के कगार पर हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकहित में छूटे परिवारों को वन गूर्जर पुनर्वास सूची में सम्मिलित कराने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

समस्त गूर्जरों को विस्थापन सूची में सम्मिलित किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## टिहरी बांध जलाशय निर्माण से दूरी बढ़ने के कारण बसों और ट्रकों के भाड़े में वृद्धि

12–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि टिहरी जनपद में टिहरी बांध जलाशय निर्माण से दूरी बढ़ने के कारण बसों और ट्रकों के भाड़े में वृद्धि हुई है ?

क्या सरकार अतिरिक्त भार को वहन करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्री किराया प्रति यात्री कि0मी0 की दर से तथा माल भाड़ा प्रति क्विंटल प्रति कि0मी0 की दर से निर्धारित है। तद्नुसार किराया सम्बन्धित द्वारा देय होता है।

## जनपद उत्तरकाशी में सरकार द्वारा बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के उपाय

13–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1998 में इन्द्रावती नदी में आयी बाढ़ से अत्यधिक क्षति हुई थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण का उपाय करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

बाढ़ सुरक्षा योजना लागत रु0 82.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद उत्तरकाशी के संग्राली, पाटा, बगियाल आदि गांवों में पेयजल योजनाओं का निर्माण

14–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के संग्राली पाटा, बगियालगांव, जखोल, पैणी भवान दिवली, बंकसारी, कुरोली कंकराड़ी, थलन आदि गांवों में भारी पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल संकट को दृष्टिगत रखकर इन गांवों में बड़ी पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। ग्रीष्मकाल में इन ग्रामों में पेयजल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्राम पैणी भवान में अतिवृष्टि से दिनांक 13–04–07 को पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई। अस्थाई व्यवस्था से जलापूर्ति की जा रही है।

जी नहीं। प्रथम वरीयता तकनीकी परीक्षण के आधार पर एकल ग्राम योजनाओं को दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद अल्मोड़ा स्थित चौखुटिया की ग्राम सभा बगड़ी में पेयजल आपूर्ति

15–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभा बगड़ी (वि0ख0 चौखुटिया) जनपद अल्मोड़ा में पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा हेतु पेयजल योजना बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

ग्राम सभा बगड़ी हेतु गुरुत्व पेयजल योजना से पेयजल सप्लाई भू–कटाव के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, जिसे ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के रखरखाव में होने के कारण उनके द्वारा ही ठीक किया जाना है।

ग्राम सभा के स्तर से कोई प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत "नैथना पम्पिंग योजना"

16–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत "नैथना पम्पिंग योजना" की स्वीकृति कब दी गई थी और कौन–कौन सी ग्राम सभाओं को इस योजना से जोड़ा गया था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सभी ग्राम सभाओं को वर्तमान में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है ?

यदि नहीं, तो किन–किन ग्राम सभाओं को उक्त योजना का लाभ मिल नहीं पा रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

नैथनादेवी पम्पिग योजना का निर्माण कार्य 1972 में एल0एस0जी0ई0डी0 द्वारा किया गया था। निर्माण के समय विकास खण्ड भिक्यासैंण के नैथाना ग्राम विसौणिया, निरकोट, नौबाडा, डंगर खोला, दौला, पाली, तल्लापाली, रिखाणी, चौडा घोगिया, मटेला, जनेरखाणी, वाजन, धमेडा, खनारी, महस्खोला, ध्यानीकोट, खुरडी, लाखट, कसखेत, रूणनौली, दुलागड़ी, पटास त0, पटास म0, कफलानी, भांसी, हिसालुखेत जैतोली, सैतोली, सुनमीडा, भैसोड, नागार्जुन, बटुंया, चौरा, बैगड, बुढली, सुरे, तकुल्टी, भण्टी, गुहाड, मुन्याचौरा, धूरा, नैल, बाटुला, उत्तमछानी, जमणी गैर, बधाण, जमराड, स्वैतरा, सिन्तोली, महरनौल, वमनचौना, सिरोली, गणिया, सिमुड़ा, नौगाँव, वेन, नैकना, खोपडा, बिनौली, ईण्डा डोब, सिनार, भिल्लेख, खड़खेत, चौनिया, वैल्टी, सोनली, जैंठा, खुरडी, द्यौना, रिखाड, अमोली, जमोली, ढुगा, भिनार, उनली, चापड, वैली, सनणे, रोटो, खोबड़ा, जोयो, नौबाडा, सिगोली, जालली बाजार, भिक्यासैण बाजार, विकास खण्ड द्वाराहाट भटकोट, जालली ग्राम, चौनिया, ईडा, जमनीवार, जमनीपार, बजीना, बुधीना, फल्द्वाडी, काण्डे, बिठोली, गनाली, मयोली, बावन, नौरी, पैठानी, नारसिंग विकास खण्ड चौखुटिया के मासी गांव, नौगांव, कबडोला, कबडोली, सिरा, ढुगाधार, जालीखान, कमेटुवा, ककड़खेत, टिमटा आदि सम्मिलित थे।

जी नहीं।

बुढ़ली, नारसिंग, कनोली, बावन, बाजन, महरखौला, खनारी, सिंलग, सुरई ग्राम योजना के अन्तिम छोर में होने के कारण आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील परिक्षेत्र में गगास नदी से पम्पिग पेयजल योजना तथा चैक डैम का निर्माण

17–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील परिक्षेत्र में गुजरने वाली गगास नदी से कितनी पम्पिग पेयजल योजनायें बनायी जा चुकी हैं ?

क्या यह सत्य है कि गगास नदी के जलस्तर में काफी गिरावट होने से उक्त योजनायें बन्द होने के कगार पर हैं ?

यदि हाँ, तो क्या इन योजनाओं को सुव्यवस्थित रूप से चालू रखने हेतु गगास नदी पर छोटे–छोटे चैक डैम निर्माण किये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

गगास नदी से वर्तमान में 02 पम्पिग पेयजल योजनायें क्रमशः रानीखेत–ताड़ीखेत, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट हेतु निर्मित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद अल्मोड़ा स्थित द्वाराहाट के ग्राम डाकबिन्ता, कासीना आदि पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति

18–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डाकबिन्ता, कासीना, बसवीड़ा, ढाईगड़ा पेयजल योजना की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट की डाकबिन्ता पेयजल योजना वर्तमान में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त है तथा योजना के पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट के मल्ली मिरई, दिखोली ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा

19–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत मल्ली मिरई, दिखोली ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां। वर्ष 1996–97 में मल्ली मिरई नामक पेयजल योजना छाली–छोली नामक गदेरे से बनाई गयी थी जो वर्तमान में ग्राम सभा के रख–रखाव में है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट स्थित ग्राम सलना असगोली, कुनस्यारी में "खिरोघाटी ग्राम समूह पेयजल योजना" की स्वीकृति

20—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सलना असगोली, कुनस्यारी आदि लगभग 18 ग्राम सभाओं के निवासी पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु "खिरोघाटी ग्राम समूह पेयजल योजना" की स्वीकृति हेतु पिछले छः वर्षों से आन्दोलनरत हैं ?

क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी द्वारा 16 सितम्बर, 2002 को उक्त ग्राम सभाओं के क्षेत्रवासियों को पेयजल से लाभान्वित करने का आश्वासन दिया गया था ?

यदि हां, तो उक्त आश्वासन पर क्या कार्यवाही हुई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हां।

ग्रामवासियों द्वारा "खिरोघाटी ग्राम समूह पेयजल योजना" की स्वीकृति हेतु वर्ष 2002 से मांग की जा रही है।

जी हां।

गगास नदी से प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही आरम्भ की गई परन्तु वर्ष 2005 की ग्रीष्म ऋतु में यह पाया गया कि वांछित स्राव 1187 लीटर प्रति मिनट के विपरीत मात्र 165 लीटर प्रति मिनट नदी में है। अतः उक्त प्रस्ताव को अव्यवहारिक मानते हुए रामगंगा नदी से सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत "बेढुली ग्राम पेयजल योजना" का जीर्णोद्धार

21—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत "बेढुली ग्राम पेयजल योजना" की स्वीकृति कब दी गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि योजना के पूर्ण रूप से जीर्ण–शीर्ण होने से उक्त ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हां, तो क्या उक्त योजना की मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन विभाग द्वारा मुख्यालय को प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

"बेढुली ग्राम पेयजल योजना" की स्वीकृति माह मार्च, 1990 में दी गयी थी।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी में टरू पम्पिंग योजना का प्रस्ताव

22–श्री खजान दास–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली टरू पम्पिंग योजना लगभग 5 हजार से अधिक आबादी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए सक्षम है ?

यदि हां, तो क्या जनहित में टरू पम्पिंग योजना की स्वीकृति दी जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

टरू पम्पिंग पेयजल योजना नाम की कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

उक्त योजना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी में आनन्द चौक पेयजल योजना

23–श्री खजान दास–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत 3 ग्राम पंचायतों हेतु आनन्द चौक पेयजल योजना लगभग 4 हजार से अधिक आबादी क्षेत्र हेतु सक्षम है ?

यदि हां, तो क्या आनन्द चौक पेयजल योजना को जनहित में स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद टिहरी के अन्तर्गत आनन्द चौक पेयजल नाम की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी के अन्तर्गत काण्डी पेयजल योजना

24—श्री खजान दास—

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत काण्डी पेयजल योजना जिससे कि 7 से अधिक ग्रामों के लगभग 7 हजार से अधिक आबादी क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, को मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार उक्त काण्डी योजना को जनहित में स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

वर्तमान में इस नाम की कोई पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद टिहरी के चौपडियालगांव, जड़ीपानी पेयजल पम्पिंग योजना

25—श्री खजान दास—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत चौपड़ियालगांव, जड़ीपानी पम्पिग योजना से आस—पास के कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

क्या सरकार जनहित में चौपड़ियालगांव पम्पिग योजना को मंजूर करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

वर्तमान में चौपड़ियालगांव, जड़ीपानी पम्पिग योजना प्रस्तावित नहीं है।

फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## सरकारी नलकूपों में भूमिगत पाइप में स्लाट डालने का प्राविधान

26—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी नलकूपों में जो भूमिगत पाईप पड़ता है उसमें एम0एस0 स्लाट डालने का प्राविधान है ?

यदि हां, तो क्या सरकार एम0एस0 स्लाट के स्थान पर एस0एस0 स्लाट डाले जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0एस0 स्लाट के परिणाम संतोषजनक हैं। यदि एस0एस0 स्लाट का उपयोग किया जाता है तो प्रति नलकूप की लागत में लगभग रु0 4.00 लाख की वृद्धि होना सम्भावित है।

## जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 सल्ट के कोटेश्वर–शशिखाल एवं हसीढूंगा–गुंजडूकोट तथा बरकिण्डा–मनिला पम्प लिफ्ट पेयजल योजनाओं की स्वीकृति

27–श्री रणजीत रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 सल्ट के अन्तर्गत कोटेश्वर–शशिखाल व हसीढूंगा–गुंजडूकोट तथा बरकिण्डा–मनिला पम्प लिफ्ट पेयजल योजनाएं कब से स्वीकृत हैं ?

क्या उक्त योजनाओं में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

दो पेयजल योजनाएं कोटेश्वर–शशिखाल एवं हसींढूंगा–गुंजडूकोट दिसम्बर, 2006 में तथा एक योजना बरकिण्डा–मनिला मार्च, 2006 में स्वीकृत है।

योजना के कार्य क्षेत्र सुधार नीति (स्वैप) के अन्तर्गत किये जाने के कारण संबंधित ग्राम सभाओं से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन होने की बाध्यता है।

ग्राम सभा के स्तर से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन नहीं हुआ है।

## जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 सल्ट में चॉच पेयजल योजना

28–श्री रणजीत रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि0 खं0 सल्ट में चॉच पेयजल योजना कब से निर्माणाधीन है एवं उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 सल्ट में चॉच पेयजल योजना के निर्माण कार्य वर्ष 1992 में आरम्भ करके पेयजल योजना मार्च, 1996 में पूर्ण हो चुकी है।

## जनपद अल्मोड़ा में सरयू शेराघाट पम्पिग पेयजल योजना

29–श्री मनोज तिवारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा के नगर व आस–पास के गांव में भीषण पेयजल संकट को देखते हुए सरयू शेराघाट पम्पिग पेयजल योजना हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0खं0 के सती नौगांव, सौलागेर, नौगांव मल्ला, धूला तोक आदि बस्तियों में पेयजल सुविधा

30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत सती नौगांव, सौलागेर, हरिजन बस्ती, धुनी पारतोक, लेखगैर तोक, नौगांव मल्ला, धूला तोक बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा से जोड़ने हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव प्राप्त कर पेयजल उपलब्ध करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत सती नौगांव, सौलागेर, हरिजन बस्ती, धुनी पारतोक, लेखगैर तोक, नौगांव मल्ला, धूला तोक बस्तियों को लेखगैर नामक पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्माण कार्य वर्ष 2001 से निर्माणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

लेखगैर पेयजल योजना का निर्माण दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया वि0खं0 अन्तर्गत जमणियां, सुनाडी, ताजपुर, रमनागांव आदि गांवों में पेयजल सुविधा

31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया वि0खं0 के अन्तर्गत जमणिया रामपुर, भनोरिया, सुनाड़ी, कफलिया, ताजपुर, रमनागांव आदि ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है ?

यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

और कब तक उक्त ग्राम को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां।

जमणियां, रामपुर, भनोरिया, सुनाडी, कफलिया, ताजपुर, रमनागांव आदि कुल 32 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रामपुर भनौटिया ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार है जिस पर सैक्टर सुधार नीति के अन्तर्गत योजना होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

उपरोक्तानुसार।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आज की कार्य सूची में मद संख्या–4 निधन के निदेश को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

## उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007

* राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## नियंत्रक–महालेखा परीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

## नियंत्रक–महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 2005–2006 (उत्तराखण्ड सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक–महालेखा परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2005–2006 (उत्तराखण्ड सरकार) के वित्त एवं लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

## उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तरांखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का पहला अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

## कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26–06–2007 की बैठक में दिनांक 27 जून, 2007 से दिनांक 02 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>जून, 2007</u>

| | | |
|---|---|---|
| 27, बुधवार | (1) | औपचारिक कार्य। |
| | (2) | अध्यादेश का सदन के पटल पर रखा जाना। |
| 28, गुरुवार | | बैठक नहीं होगी। |
| 29, शुक्रवार | | बैठक नहीं होगी। |
| 30, शनिवार | | अवकाश। |

<u>जुलाई, 2007</u>

01, रविवार अवकाश

02, सोमवार (1) औपचारिक कार्य।

(2) विधायी कार्य।

(3) वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

(अपरान्ह 4.00 बजे)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल 30, धूमाकोट विधान सभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य ले0 ज0 (अ0प्रा0) तेजपाल सिंह रावत, पी0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0 ने दिनांक 07 जून, 2007 को अपराह्न विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया जिसे मैंने दिनांक 07 जून, 2007 अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

अतः ले0 ज0 (अ0प्रा0) तेजपाल सिंह रावत, पी0वी0एस0एम0; वी0एस0एम0 का स्थान उत्तराखण्ड विधान सभा में दिनांक 07 जून, 2007 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

(घोर व्यवधान)

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन और श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं उक्त तीनों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

## नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के पिलंग गांव में नियम विरुद्ध की गयी शिक्षा मित्र की नियुक्ति के संबंध में नियम 53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं।

दूसरी सूचना जनपद हरिद्वार में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सड़कों के सुधार के संबंध में नियम 53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश की प्राप्त हुई है। मैं इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं।

अब हम उठते हैं दिनांक 02 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजकर 26 मिनट पर दिन सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 27 जून, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 वि0 सभा/389–17–05–2008–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।